न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 49/2017

काशीराम पुत्र मुन्शीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मोडूराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

—रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 21.09.1989

उपस्थित—

श्री बाबूलाल चांडक अभिभाक अपीलार्थी

श्री अशोक छाबडा अभिभाषक रेस्पो.

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.11.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 21.09.1989 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा वादी रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए 188 आरटीए स्वीकार किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि वादी/रेस्पो. को आरजी काश्त पर आवंटित थी जिसके सम्बन्ध में वह वाद पेश कर कोई अनुतोष

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्राप्त नहीं कर सकता था। अधी0 न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 1958 आरआरडी 89, 1998 आरआरडी 319, 1994 आरआरडी 505, 1989 आरआरडी 551, 2012 आरआरटी 177, 2008आरआरटी 1090, 2006 आरबीजे 198, 2010 (1) आरबीजे 157 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी है वादी द्वारा अधी. न्यायालय के समक्ष एक वाद रेस्पो. के विरूद्ध पेश किया जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होना साबित है। अपीलांट द्वारा यह अपील लगभग 28 साल बाद पेश की जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है । रेस्पो0 ने मियाद प्रार्थना का जबाव पेश किया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण के आधार पर अपील खारिज की जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने 2009(2) आरआरडब्लू 985 , 927 की नजीरे पेश की ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांकम 21.09.1989 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पो. के पक्ष में जारी डिक्री इस आधार पर खारिज करने का अनुतोष चाहा कि विवादित भूमि अपीलांट को आंवटित थी जो घोषणात्मक दावे के जरिये रेस्पो0 को को नहीं दी जा सकती ।

अधी. न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 21.09.1989 के विरूद्ध दिनांक 20.04.2017 को लगभग 28 वर्ष बाद पेश की है तथा विलम्ब माफ करवाने के लिए जो आधार दर्शाये है वे पर्याप्त नहीं है साथ ही अपीलांट ने एक अन्य दावा संख्या 194/16 अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष दिनांक 14.09.2016 को पेश किया जिसके सम्बध में दावा सं0 77/87 निर्णय दिनांक 21.09.89 (अपीलाधीन आदेश) रेस्पो. अभिभाषक

28/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

द्वारा सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 का प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी भूमि बाबत पूर्व में डिक्री जारी हो चुकी है। अतः धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार दावा खारिज करने का अनुतोष चाहा जो अधी.न्यायालय द्वाराअपने निर्णय दिनांक 05.07.2013 प्रा.पत्र खारिज कर दावा संख्या 194/2016 की process continue रही परन्तु अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध निगरानी/टी.ए./4888/2013 पेश की जो माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 10.08.2016 द्वारा निगरानी खारिज की गई जो अधी. न्यायालय द्वारा दावा सं. 194/2016 सुनवाई हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत हुआ जो अपने मुकाम पर पंहुचता उससे पहले ही अपीलाधीन आदेश की रूह से अधी. न्यायालय की पत्रावली तलब होकर पुनः अधी.न्यायालय की कार्यवाहियां disturb हो गई ।

अतः सार रूप में मियाद के बिन्दु व अपील में उठाये तथ्य व दावे संख्या 194/2016 के तथ्य एक ही होने से, अधी.न्यायालय दावा, जबाव दावा, तनकियात कायमी साक्ष्य संग्रहण व गुणावगुण के आधार निर्णय का proper न्यायालय होकर उसके निर्णय में कोई नुक्स होने पर पीड़ित पक्षकार द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर करने के विकल्प अनुसार यह अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय दिनांक 28.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी

काशीराम पुत्र मुन्शीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. मोडूराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कानौर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

—रेस्पोंडेंटान

अपील संख्या 49 सन् 2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ निर्णय दिनांक 21.09.1989

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 28 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री बाबूलाल सांडक अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री अशोक छाबडा अभिभाषक रेस्पों एवं श्री श्याम सुन्दर सांडक राजकीय अधिवक्ता समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग ____X____) रूपये ___ X ___अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का _____ X _____ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28 माह 11 सन् 2017 को जारी किया गया।

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर